कार्यालय,आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन–भोपाल, 462004

क्रमांक /731/19/ योजना /आउशि/शाखा–8/10 भोपाल, दिनांक 15/06/2010

प्रति,

प्राचार्य
नीचे दर्शाये अनुसार शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

विषयः–गांव की बेटी योजना की नवीन /नवीनीकरण छात्राओं हेतु अतिरिक्त बजट आवंटन वर्ष 2010--2011

***

उपरोक्त विषयान्तर्गत वर्ष 2009–10 की पात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदाय किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में बजट शीर्ष **44-2202-03-103-6916-0101-41-002** (गांव की बेटी योजना) से दर्शित राशि का बजट आवंटन एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है। उक्त राशि का आहरण एवं वितरण दर्शाये मद में उच्च शिक्षा विभाग के वित्तीय वर्ष 2010--11 के बजट से विकलनीय होगा ।

स. क्र	महाविद्यालय का नाम	स्थान	जिला	बजट आवंटन (राशि रू. में)
1	शासकीय महाविद्यालय	अलीराजपुर	अलीराजपुर	10000
2	शासकीय महाविद्यालय	आठनेर	बैतूल	805000
3	शासकीय कन्या महाविद्यालय	मुरैना	मुरैना	800000
4	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	780000
5	शासकीय एम.जे.एस. महाविद्यालय	भिण्ड	भिण्ड	635000
6	शासकीय कन्या महाविद्यालय	सतना	सतना	495000
7	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	मंदसौर	मंदसौर	485000
8	शासकीय महाविद्यालय	बरघाट	सिवनी	525000
9	शासकीय कमला राजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय	ग्वालियर	ग्वालियर	406000
	योग			49,41,000

कुल राशि रू. उन्चास लाख इकतालीस हजार

यह जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी कि कोई भी पात्र छात्रा इस योजना के लाभ से [illegible]

निम्नलिखित तथ्यों का प्रमाण–पत्रों के आधार पर परीक्षण एवं सत्यापन करने के उपरांत ही छात्रवृत्ति का वितरण किया जाए –

1. शासन व विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये नियम मापदण्डो का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
2. छात्रा ने जिस वर्ष 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हो व निरन्तरता के साथ प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया हो इसका परीक्षण एवं सत्यापन महाविद्यालय स्तर से किया जाए।
3. वर्ष 2009 -- 10 में छात्रा ने उच्च शिक्षा में अध्ययन हेतु प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश लिया हो एवं महाविद्यालय में अध्ययनरत हो।
4. जो वर्ष 2007 -08 व 2008 -09 में चयनित छात्रा ने सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होकर निरन्तरता के साथ आगामी कक्षा में प्रवेश लिया हो।
5. यदि छात्रा संदर्भित पत्रानुसार पात्र पाई गई है तो उसके लिए बजट आवंटन अध्ययनरत छात्रा के महाविद्यालय के जिले में स्थित संबंधित अग्रणी महाविद्यालय को भेजा जा रहा है। यह अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य का दायित्व होगा कि संबंधित अशासकीय महाविद्यालय के बारे में यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उसे वर्तमान में अनुदान प्राप्त है अथवा नहीं।

6 अन्य महाविद्यालय की चयनित छात्रा को बजट प्रदाय करने की कार्यवाही व पावती अग्रणी महा. स्तर से प्रमाण–पत्रों का परीक्षण कर की जाएगी। **किसी भी स्थिति में संबंधित संस्था को बजट स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।**

7 पात्र छात्राओं को राशि वितरित करने से पूर्व घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाए।

8 चयनित प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्रा को छात्रवृत्ति राशि रू. 500.00 (रू0 पॉच सौ) प्रतिमाह की दर से शैक्षणिक सत्र हेतु 10 माह के लिए रू. 5000.00 (रू. पॉच हजार) से अधिक नहीं होगी ।

9 तकनीकी/चिकित्सा में अध्ययनरत् प्रति छात्रा हेतु छात्रवृत्ति राशि रू. 750.00 (रू0 सात सौ पचास) प्रतिमाह की दर से शैक्षणिक सत्र हेतु 10 माह के लिए रू. 7500.00 (रू. सात हजार, पांच सौ) से अधिक नहीं होगी । प्राचार्य सुनिश्चित करें कि पात्र छात्रा छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने से वंचित न रहें।

10 पात्र छात्रा को वितरित राशि व विगत कक्षा के प्राप्तांक का लेखा महाविद्यालय के लेखापाल व गांव की बेटी योजना के प्रभारी द्वारा किया जाकर प्राचार्य से प्रमाणिक अभिलेखों व उपलब्ध कराई गई साफ्टवेयर में अद्यतन कर दिनांक **25 जून, 2010** तक अनिवार्य रूप से अग्रणी महाविद्यालय द्वारा संकलित कर ई–मेल (compcellhedu@mp.gov.in) पर प्रेषित करें। महाविद्यालय पृथक–पृथक से जानकारी का प्रेषण न करें ।

11 समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिकार क्षेत्रांतर्गत आने वाले सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को संदर्भित पत्रानुसार पात्र छात्राओं को समय से योजना का लाभ प्राप्त हो जाए।

12 गांव की बेटी योजनान्तर्गत समस्त दिशा निर्देश विभाग की वेब साइट http://www.mp.nic.in/highereducationmp पर उपलब्ध है।

13 जारी किया गया बजट आयुक्त कोष–लेखा के सेन्ट्रल सर्वर पर लोड करा दिया गया है।

14 उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए तत्काल योजना का क्रियान्वयन किया जाए।

(हस्ताक्षर) 14.6.2010

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

क्रमांक/732/19/यो /आउशि/शाखा–8/10 भोपाल, दिनांक 15/6/2010

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, म प्र शासन भोपाल म प्र।
2. निज सहायक प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, म प्र शासन, भोपाल म प्र।
3. संयुक्त संचालक (बजट), उच्च शिक्षा, म.प्र. – की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म.प्र.
5. संबंधित कोषालय अधिकारी म.प्र.।

(हस्ताक्षर) 14.6.2010

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश